

grants under the labour laws. ... (Interruptions)
It is because of the revision of their wages.
That is what I said.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHA-BE:
What is the percentage of cost of wages in the
cost of production

SHRI P. A. SANGMA: We strictly follow
the labour laws. I have specifically said that
revision of wages takes place according to the
provisions of the labour laws and it is one of
the reasons in addition to the cost of inputs.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHA-
BE: Don't think that whatever the officers
state is the correct thing.

SHRI P. A. SANGMA: It is not correct to
say that we have no scheme for the welfare of
the labour. We do have a lot of schemes for
the welfare of labour and I can name a few.
We have an educational stipend scheme, we
have a capital grants scheme, we have a
scheme for granting relief to workers in
distress in prolonged illness. Like that we
have some schemes for the welfare of the
labour.

Another point which the hon. Member
raised is that workers have no representation
on the Board. Sir, workers have representation
on the Rubber Board. If you kindly go through
my concluding speech, you will find that I
have said that we have to strike a balance and
that we have to see to the conditions of the
workers, we have to see to the interests of the
growers and we have to see to the Interests of
the industry based on rubber. This was my
concluding remark. I did not say that this is
meant only for the growers. Here sub-clause
(d) says, 'Ten members to be nominated by the
Central Government of whom two shall
represent the manufacturers and four labour.'
So, we have representatives from the labour in
the Rubber Board. Therefore, there is workers'
participation in the Rubber Board and it is not
our intention to exclude them. We are very
much concerned about their welfare.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LADLI
MOHAN NIGAM): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHA
BE: Now you adjourn the House.

**उपसभाध्यक्ष (श्री लडली मोहन
निगम) :** वह सिर्फ मूव कर रहे हैं।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHA BE:
Only moving, we agree.

**THE NATIONAL WATERWAY (AL-
LAHABAD-HALDIA STRETCH OF
THE GANGA-BHAGIRATHI-HOOGHLY
RIVER) BILL, 1982.**

**नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य
मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** श्रीमान् मैं
प्रस्ताव करता हूँ कि :—

"गंगा - भागीरथी - हुगली नदी के
इलाहाबाद-हल्दिया भाग को राष्ट्रीय
जलमार्ग घोषित करने के लिए उपबंध
करने के लिए और उक्त जलमार्ग पर
पोत-परिवहन और नौ-परिवहन के
प्रयोजनों के लिए उस नदी का विनियमन
और विकास करने के लिए और उनसे
सम्बद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों
के लिए भी उपबंध करने वाले विधेयक
पर विचार किया जाये।"

मान्यवर, भारतीय नौवहन एवं
नौचालन के इतिहास में यह पहला अवसर
है जब किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय
जलमार्ग घोषित करने के लिए संसद में
एक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।
इस दिशा में फिलहाल इलाहाबाद से
हल्दिया तक गंगा नदी के भाग का
राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर पहले का
जा रही है।

ऊर्जा की बचत करने और भूमि पर
विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों
की कमी को पूरा करने की आवश्यकता
के संदर्भ में सरकार यह आवश्यक समझती
है कि जिन स्थानों में अन्तर्देशीय जल-

परिवहन का विकास करने की सम्भावना है वहां परिवहन के इस प्रकार के साधन का तेजी से विकास किया जाए। यह विकास कार्य एक अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, हम परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा अन्तर्देशीय जल-परिवहन का विकास करने में जितनी पूंजी लगाते हैं उससे लोगों को परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा कहीं अधिक रोजगार मिलता है और इससे प्रायः वे लोग लाभान्वित होते हैं जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग के होते हैं। सरकार यह कोशिश करेगी कि आधारभूत और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर जल मार्ग को विनियमित और विकसित किया जाए जिससे नौवहन और नौचालन के कार्य में इसका अभीष्ट उपयोग किया जा सके। यह भी विचार है कि जल मार्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों व संस्थाओं आदि के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए जो सरकार को इस अधिनियम के प्रभासन से सम्बन्धित विषयों पर सलाह दिया करेगी।

सरकार ने गंगा नदी के अलावा नौ और जल मार्गों की सूची बनाई है जिनको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के बारे में विचार किया जा रहा है। जब इस सम्बंध में अध्ययन पूरा हो जाएगा तब इन जल मार्गों को भी राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के बारे में कार्यवाही की जाएगी।

The question was proposed.

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : केवल एक संशोधन श्री सूरज प्रसाद जी का है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाए।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : श्रीमान्- मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

“गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए उपबंध करने के लिए और उक्त जल मार्ग पर पोत परिवहन और नौ-परिवहन के प्रयोजनों के लिए उस नदी का विनियमन और विकास करने के लिए और उनसे सम्बन्ध या उनसे आनुवंशिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक का राज्य सभा के अगले सत्र के प्रथम सप्ताह तक प्रतिवेदन देने के अनुदेशों के साथ राज्य सभा की एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. श्री सूरज प्रसाद
2. श्री हनुमन्त देव नारायण यादव
3. श्री शिव चन्द्र झा
4. श्री कलराज मिश्र
5. श्रीमती कनक मुखर्जी
6. श्री पी० एन० सुकुल
7. श्रीमती प्रतिभा सिंह
8. श्री राम नरेश कुशवाहा
9. श्री जी० सी० भट्टाचार्य
10. श्री इन्द्रदीप सिंह
11. श्री सुरेन्द्र मोहन

The question was proposed.

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) : श्री सुकोमल सेन आप कुछ बोलिये। फिर उसके बाद यह कल लेंगे।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal):
Mr. Vice-Chairman, Sir, now this National Waterway Bill has been introduced. This question of declaring the Waterway as National Waterway of the country has been under consideration of the Government for the last two decades. I feel it is long delayed. This delay in introducing the Bill will have a lot of impact while planning our industries and transportation. This Bill seeks to declare this part of the Ganga-Bhagirathi-Hooghly between Allahabad and Haldia as a national waterway. It is a known fact that waterways is the

cheapest mode of transport and, as such, I rise to support this Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन
निगम) : सदन की कार्यवाही कल ग्यारह बजे
तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at six
of the clock till eleven of the clock
on Tuesday, the 27th July, 1982.